

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी ,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,

राजस्व परिषद, 30प्र0

लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2018

**विषय:-** जनपद गाजियाबाद की तहसील लोनी के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-2596/12-भवन-45/2016 दि0 09/03/2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गाजियाबाद की तहसील लोनी के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु मानकीकृत लागत रू0-264.23 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किशत के रूप में रू0-132.00 लाख (रूपये एक करोड़ बत्तीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त कार्य कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग से कराया जायेगा। राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।
- (2) निर्माण कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की जायेगी, जिसका समय-समय पर जिला स्तरीय गुणवत्ता सेल टास्कफोर्स द्वारा स्थलीय सत्यापन भी प्रत्येक माह में किया जायेगा तथा प्रत्येक माह गुणवत्ता की सत्यापन रिपोर्ट सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रमुख सचिव, राजस्व एवं राजस्व परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाय कि अनुमोदित आगणन/स्वीकृत धनराशि से अधिक का कार्य कदापि न कराया जाय और न ही स्वीकृत धनराशि का डाइवर्जन किसी दूसरे मद में किया जाय अन्यथा इनका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
- (3) प्रायोजना की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य कार्यक्रम/योजना के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य कार्यक्रम/योजना में वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित है।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय /उपयोग यथास्थिति प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति तथा मानकीकरण संबंधी शासनादेश दिनांक 23 मार्च, 2013 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।
- (5) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (6) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (7) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - (8) यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय कि कार्यों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप उच्चकोटि की हो तथा निर्माण कार्य समयान्तर्गत सम्पादित हों तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्य की मानीटरिंग भी सुनिश्चित की जाय।
  - (9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
  - (10) प्रश्नगत स्वीकृति बजट एवं परिव्यय के सीमान्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।
  - (11) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
  - (12) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पीओएलओ में नहीं रखा जायेगा।
  - (13) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-106 साधारण पूल आवास-03-आवासीय भवन-0301-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के नवनिर्माण/पुर्ननिर्माण/विस्तार/सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
  - 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०-वित्त-ई-5- 533/दस /2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
श्याम मोहन तिवारी  
उप सचिव ।

**संख्या-58/2018/342/एक-5-2018-36/2018, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, 30प्र० इलाहाबाद।
- 2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 5- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 6- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग/सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।
- 7- राजस्व अनुभाग-6/गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,  
गिरीश चन्द्र  
अनु सचिव।